

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार मण्डावर बनाम जमन्या

विषय मूकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 691/2025

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

28.10.2025

यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का उकरूंद ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का उकरूंद के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाकें ग्राम पीलवा पटवार हल्का उकरूंद तहसील मण्डावर जिला द्वारा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 13 के खातेदार जमन्या पुत्र वंशी हिस्सा 1/2 जाति चमार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2025 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मण्डावर द्वारा खातेदार जमन्या पुत्र वंशी हिस्सा 1/2 जाति चमार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किये जाने की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर एव राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-4/6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5(8)राज-4/83/राज-6/16 जयपुर दिनांक 01.11.1996 की अनुपालना में प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

आदेश

हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं भू-अभिलेख नियम 1957 की धारा 369 स्वीकार किया जाकर ग्राम पीलवा पटवार हल्का उकरूंद तहसील मण्डावर जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 13 के खातेदार जमन्या पुत्र वंशी हिस्सा 1/2 जाति चमार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर दर्ज रिकार्ड में जाति चमार के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष रिकार्ड मुताबिक जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार मण्डावर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हांकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R. A. S.

उपखण्ड अधिकारी

मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)